पत्रांक – 29/बी०एस०जी०–03/2019–20/ 40A /बजट

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : **15.11.2000 के पूर्व के बकाया वेतनादि से सम्बन्धित इकाई में बजट प्रावधान करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

झारखण्ड राज्य का गठन दिनांक–15.11.2000 को हुआ है । राज्य के समक्ष ऐसे मामले आने की सम्भावना रहती थी कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों की कुछ बकाया राशि हो जो उक्त तिथि के पूर्व की हो, अतः उक्त इकाई का सृजन किया गया था । इस वर्ष राज्य गठन को 20 वर्ष हो जायेंगे परन्तु अबतक **"इकाई 10–15.11.2000 के पूर्व के बकाया वेतनादि"** में बजट प्रावधान करने हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं, जो वित्तीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता ।

इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 से उपरोक्त इकाई में प्रावधान नहीं किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि यदि इस तरह के मामले लम्बित हो तो अनिवार्य रूप से अगले अनुपूरक में वर्णित राशि का प्रावधान कराने हेतु साक्ष्य सहित प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(हिमानी पाण्डे)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०–03/2019–20/ 40A /बजट, राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना सह वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हिमानी पाण्डे)
सचिव (संसाधन) ।